



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-19022026-270329
CG-TL-E-19022026-270329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 867]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947

No. 867]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 13 फरवरी, 2026

का.आ. 909(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “गुंतकल – वाडी स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन (230.00 किमी.)” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुरमु और कर्नूल जिलों में तथा तेलंगाना राज्य के नारायणपेट जिले में और कर्नाटक राज्य के रायचूर, यादगिरि और कलबुरगि (गुलबर्गा) जिलों में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. W.Con.182/SRP-28/GTL-WD/25-26/297/37A]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-।

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 13th February, 2026

S.O. 909(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "3rd & 4th Line between Guntakal – Wadi stations (230.00 Km)" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the Districts of Ananthapuramu, Kurnool and in the State of Telangana in the District of Narayanpet and in the State of Karnataka in the Districts of Raichur, Yadgiri, Kalaburagi (Gulbarga) for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. W.Con.182/SRP-28/GTL-WD/25-26/297/37A]

H. K. BHAGORIA, Chief Engineer/Con-I